नोट्स व कार्यवाही अहलकारान जो हुक्म हुक्मनामा की तामील में जारी हुए

1[illegible]/5/22 पत्रावली पेश हुयी। वकलाय उभय। जवाब हेतु पुनः अवसर चाहा। न्यायहित में एक और अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 13/5/22 को पेश हो।

13/5/22

पत्रावली पेश हुयी। वकलाय उभय पक्ष उप०। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलायी गयी। पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/5/22 को पेश हो।

17/5/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थीगण ने उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नही होने का कथन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 499 स्थित राजस्व ग्राम दीपावास में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सीवजोड़ खातेदार है। अतः प्रार्थी, सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सूचित कर सीमाज्ञान कर बाद सम्यक सतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दीपावास स्थित भूमि खसरा नंबर 499 रकबा 0.44 हैक्ट0 की प्रार्थी, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)